| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>**नजरसानी/टि.ए./2635/2005/सवाईमाधोपुर**<br>**कजौडदेवी बनाम विपिन बिहारी** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| **21–02–2018** | **एकल पीठ**<br>**श्री महावीर सिंह, सदस्य**<br><br>**उपस्थित–**<br>श्री राजेश गौतम, अधिवक्ता, प्रार्थी<br>श्री वी0पी0 सिंह, अधिवक्ता, अप्रार्थी–01<br>श्री दिनेश कुमार, अधिवक्ता, प्रार्थी प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10, सी0पी0सी0<br><br>**निर्णय**<br><br>हस्तगत नजरसानी प्रार्थना पत्र धारा 229, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत माननीय मण्डल की एकल–पीठ द्वारा प्रकरण संख्या निगरानी 100/2001 उन्वानी विपिन बिहारी वगैरा बनाम कजौड देवी में पारित निर्णय दिनांक 25–04–2005 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। सहायक जिलाधीश, द्वितीय, सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 21–04–2001 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई उक्त निगरानी को आक्षेपित निर्णय के द्वारा स्वीकार किया है।<br><br>उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस नजरसानी पर एवं प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10, सी0पी0सी0 दिनांक 16–10–2017 पर सुनी गई।<br><br>योग्य अधिवक्ता प्रार्थी (प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10, सी0पी0सी0 दिनांक 16–10–2017) ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि मेंसे 1/2 हिस्से को कजौडी देवी से क्रय किया है और क्रय के आधार पर ही प्रार्थी का भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी भूमि पर भूखण्ड पर निवास करते हैं और बिजली कनैक्शन ले कर वैल्डिंग का कार्य करते हैं। तहसीलदार, बौंली द्वारा धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थी के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान प्रकरण मे प्रार्थी प्रभावित पक्षकार है, अतः प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10, सी0पी0सी0 स्वीकार किया जा कर प्रार्थी को प्रकरण में पक्षकार बनाया जाये।<br><br>योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने नजरसानी मीमों में उल्लेखित तथ्यों को अपनी बहस में दोहराते हुए कथन किया कि परीक्षण न्यायालय के समक्ष वादिया–प्रार्थीया द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1331 | |

Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>**<u>नजरसानी/टि.ए./2635/2005/सवाईमाधोपुर</u>**<br>**<u>कजौडदेवी बनाम विपिन बिहारी</u>** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | हाल खसरा नम्बर 1331/2 रकबा 1 बीघा के सम्बन्ध में वाद दायर किया था जिसमें वर्तमान अप्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसे विधिसम्मत निर्णय दिनांक 21–4–2001 से खारिज किया गया था और इसके विरुद्ध प्रस्तुत की गई निगरानी को स्वीकार करने में माननीय एकलपीठ ने स्पष्ट रुप से भूल की है। योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रश्नगत भूमि चरागाह भूमि है और प्रकरण में जिला कलक्टर व तहसील पूर्व से ही पक्षकार हैं, अतः किसी अन्य व्यक्ति को पक्षकार बनाये जाने की कोई आवश्यकता नहीं रही है। इसी प्रकार से जब ग्राम पंचायत को भी पक्षकार बनाया जा चुका है तो अन्य ग्राम वासी को पक्षकार बनाये जाने की आवश्यकता नहीं रहती है। माननीय पीठ ने इस बिन्दु पर गौर नहीं किया कि माननीय मण्डल द्वारा पूर्व में समान प्रकृति के एक निर्णय में पक्षकार बनाया जाना उचित नहीं माना है, अतः इस प्रकरण में भी अप्रार्थीगण को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नहीं था। इस प्रकार मण्डल की एकल पीठ द्वारा पारित निर्णय में प्रथम दृष्टया त्रुटियां रिकार्ड पर परिलक्षित होती है, जिसके कारण पारित निर्णय पुनरावलोकन योग्य है। अंत में योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि माननीय मण्डल की एकल पीठ ने त्रुटि कारित करते हुये निर्णय पारित किया है जो कि "error apparent on the face of record' की परिभाषा में आने से नजरसानी प्रार्थना पत्र के आधार पर इसमें पुनराविलोकन आवश्यक है, अतः आक्षेपित निर्णय को निरस्त किया जाये और मूल प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जाये।<br><br>अप्रार्थी पक्ष के योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि रिव्यू का दायर अत्यन्त सीमित है और माननीय एकलपीठ ने विस्तार से परीक्षण कर अप्रार्थीगण को प्रकरण में आवश्यक पक्षकार माना है, अतः इस निर्णय में किसी प्रकार की दृष्ट्व्य भूल नहीं होने से नजरसानी को खारिज किया जाये।<br><br>हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को को ध्यान में रखते हुए नजरसानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित आक्षेपों एवं पूर्व में पारित निर्णय का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया ।<br><br>हस्तगत नजरसानी प्रार्थना पत्र पत्र हमारे समक्ष अधिनियम, 1955 की धारा 229 के अंन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। धारा 229 के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड स्वयं अपनी इच्छा से या वाद या | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>**<u>नजरसानी/टि.ए./2635/2005/सवाईमाधोपुर कजौडदेवी बनाम विपिन बिहारी</u>** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | कार्यवाही के एक पक्ष के आवेदन पत्र पर स्वयं द्वारा या अपने किसी सदस्य द्वारा दी गई डिक्री या आज्ञा का पुनरावलोकन कर सकता है और उसका खण्डन, परिवर्तन अथवा पुष्टि कर सकता है। रिव्यू प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का एक मात्र आधार यही हो सकता है कि रिकार्ड पर कोई भूल स्पष्टतया परिलक्षित हो। नये तथ्यों के आधार पर या जिन तथ्यों का निस्तारण हो चुका है, उन्हीं को फिर रिव्यू किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किये जाने का कोई आधार नहीं हो सकता। नजरसानी एक अतिरिक्त अपील का माध्यम नहीं बन सकती है तथा नजरसानी का दायरा अत्यन्त सीमित होता है और नजरसानी की आड में प्रकरण का पुनः परीक्षण नहीं किया जा सकता है। नजरसानी में केवल उस सीमा तक ही विचार किया जा सकता है जिस सीमा तक आदेश 47 नियम 1 सी पी सी में प्रावधान दिये गये है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकरण संख्या 662/2001 उन्वानी सुरेन्द्रकुमार वकील व अन्य बनाम चीफ एक्जीटिव आफिसर एम.पी. व अन्य जो आरआरटी 2005 (1) पेज 545 पर उद्धरित है में पारित में यहॉ तक मत प्रतिपादित किया है कि Code of Civil Procedure - Order 47 Rule 1- Review - Point that has been held & decided - View taken in the judgment may be erroneous but can not be a ground for review. उपरोक्तानुसार स्पष्ट है कि निर्णय त्रुटिपूर्ण "erroneous" होने की स्थिति में भी वह नजरसानी का आधार नहीं हो सकता है । इसी प्रकार से 1971 आर.आर.डी. पेज 238 एवं 1974 आर. आर.डी. पेज 338 में स्पष्ट मंतव्य पारित किया गया है कि नजरसानी का आधार न्यायालय का गलत निर्णय नहीं हो सकता है।<br><br>हस्तगत प्रकरण के अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि चरागाह की भूमि है और चरागाह भूमि होने से प्रार्थी का कोई टाइटल नहीं बनता है। माननीय एकलपीठ ने प्रकरण में विस्तार से विवेचन करते हुये निगरानी को स्वीकार किया है और इस प्रकार से परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये वाद में प्रार्थीगण–वर्तमान गैर प्रार्थीगण को पक्षकार बनाया जाना स्वीकार किया है। हम एकलपीठ के निर्णय में किसी प्रकार की अनियमितता होना नहीं मानते हैं और हमारा यह भी स्पष्ट मत है कि जहॉ भू राजस्व अधिनियम, 1956 की कार्यवाही के तहत किसी हितबद्ध व्यक्ति को पक्षकार बनाया गया है तो इस प्रकार के निर्णय के विरुद्ध नजरसानी का कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थी पक्ष की ओर से स्पष्ट रुप से | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>**<u>नजरसानी/टि.ए./2635/2005/सवाईमाधोपुर</u>**<br>**<u>कजौडदेवी बनाम विपिन बिहारी</u>** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | ऐसा कोई बिन्दू प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित होता तो कि निर्णय दिनांक 25-04-2005 में कोई गलती ऐसी साबित होती हो, जिससे यह मामला नजरसानी के लिए बनाये गये नियमों के तहत विचारणीय हो। फलतः हस्तगत नजरसानी सारहीन होने से खारिज की जाती है, साथ ही प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10, सी0पी0सी0 दिनांक 16-10-2017 सारहीन होने से खारिज किया जाता है।<br>पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो।<br><br>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>**(महावीर सिंह )**<br>**सदस्य** | |